बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि.प्रा. (III) यो.– 25 / 2016– / पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत नवस्वीकृत 10 (दस) पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ष 2016–17 से सत्रारंभ हेतु संस्थान में Language Lab. के अधिष्ठापन के लिए प्रति संस्थान 10 कम्प्यूटर सिस्टम, Language Lab. सॉफ्टवेयर एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए प्रति संस्थान रू. 9,25,000=00 मात्र की लागत से कुल रू. 92,50,000=00 (बानवे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि संबंधित संस्थान / मेंटर संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने नवस्वीकृत 10 (दस) पोलिटेकनिक संस्थानों यथा राजकीय पोलिटेकनिक टेकारी (गया), राजकीय पोलिटेकनिक कैमुर, राजकीय पोलिटेकनिक जमुई, राजकीय पोलिटेकनिक बांका, राजकीय पोलिटेकनिक सुपौल (राघोपुर), राजकीय पोलिटेकनिक मधेपुरा, राजकीय पोलिटेकनिक मुंगेर, ब्रज किशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक गोपालगंज एवं कामेश्वर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, विभुतीपुर, समस्तीपुर में वर्ष 2016–17 से सत्रारंभ हेतु संस्थान में Language Lab. के अधिष्ठापन के लिए प्रति संस्थान 10 कम्प्यूटर सिस्टम, Language Lab. सॉफ्टवेयर तथा उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए प्रति संस्थान रू. 9,25,000=00 मात्र की लागत से कुल रू. 92,50,000=00 (बानवे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि संबंधित संस्थान / मेंटर संस्थान को विमुक्त की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजना बजट के "मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105 –इंजीनियरिंग / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड– पी 4202021040102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान / मेंटर संस्थान के प्राचार्य होगें।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, गया / कैमुर / जमुई / बांका / सुपौल / मधेपुरा / बेगुसराय / गोपालगंज / दरभंगा से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. संबंधित संस्थानों के प्राचार्य, सॉफ्टवेयर के अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह. / –
(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 25/ 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 25/ 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, गया/कैमुर/जमुई/बांका/सुपौल/ मधेपुरा/ बेगुसराय/गोपालगंज/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 25/ 2016– 794 /पटना, दिनांक– 16-3-016

प्रतिलिपिः– संबंधित संस्थानों के प्रभारी प्राचार्य/संबंधित मेंटर संस्थानों के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/16
सरकार के अपर सचिव

16/3/16